संख्या–1468/8–3–15–261 विविध/11

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2015**

विषयः पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स की स्थापना से सम्बन्धित मानकों में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–432/8–3–15–261 विविध/11, दिनांक 31.3.2015 में आंशिक संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–432/8–3–15–261 विविध/11, दिनांक 31.3.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स की स्थापना से सम्बन्धित मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स के लिए भूखण्डों के चिन्हीकरण से सम्बन्धित प्रश्नगत् शासनादेश के प्रस्तर–2.1 (I) एवं (II) को पारदर्शी व निष्पक्षतापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनहित में निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

शासनादेश दिनांक 31.3.2015 का वर्तमान प्रस्तर	**संशोधित प्रस्तर**
2.1(I) पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी स्टोरेज गोडाउन्स के लिए महायोजना/ज़ोनल डेवल्पमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. /समन्वयक, तेल उद्योग, उ.प्र. (स्टेट लेवल क्वार्डीनेटर, तेल उद्योग) से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों पर आवश्यकतानुसार भूखण्ड चिन्हित किये जाएं।	पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स के लिए महायोजना/ज़ोनल डेवल्पमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि./समन्वयक, तेल उद्योग, उ.प्र. (स्टेट लेवल क्वार्डीनेटर, तेल उद्योग), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों पर आवश्यकतानुसार भूखण्ड चिन्हित किये जाएं।

(II) विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स में चिन्हित भूखण्डों को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. /समन्वयक, तेल उद्योग, उ.प्र. (स्टेट लेवल क्वार्डीनेटर, तेल उद्योग) के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित/आवन्टित किया जाए।	विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स में चिन्हित भूखण्डों को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि./समन्वयक, तेल उद्योग, उ.प्र. (स्टेट लेवल क्वार्डीनेटर, तेल उद्योग), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित/आवन्टित किया जाए।

उपरोक्त संशोधन के साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित नई आवासीय योजनाओं एवं वाणिज्यिक कॉम्पलेक्सेज़ के ले–आउट प्लान/मानचित्र स्वीकृत करते समय विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मानकों के अनुसार पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट्स एवं एल.पी.जी स्टोरेज गोडाउन्स के लिए भूखण्डों का चिन्हीकरण तथा आवन्टन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3– कृपया इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–432/8–3–15–261 विविध/11, दिनांक 31.3.2015 को तत्सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या–1468(1)/8–3–11–261 विविध/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., प्लाट नं.–1, नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।
4. राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, उत्तर प्रदेश, टी.सी. 39–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., 94, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिवजनम चौधरी)
संयुक्त सचिव